

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1252/सत्तर-1-2024-20(12)/2022
लखनऊ : दिनांक : 7 सितम्बर, 2024

अध्यक्ष,
श्री जगन्नाथ प्रसाद गणेशीलाल
बजाज चौरिटेबल ट्रस्ट समिति,
मथुरा-281121

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा में आपके द्वारा जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010) अधिसूचना दिनांक 01-09-2010 द्वारा की गयी है। उक्त विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची 2 में क्रमांक 7 पर सम्मिलित किया गया है। आपके द्वारा उक्त विश्वविद्यालय का परिसर दूरस्थ केन्द्र ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है।

इस सम्बन्ध में जी०एल०ए० विश्वविद्यालय परिसर दूरस्थ केन्द्र, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के संचालन प्राधिकार-पत्र संख्या-01/7(1)/2024 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही जी०एल०ए० विश्वविद्यालय परिसर दूरस्थ केन्द्र, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।


(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
- (2) मंडलायुक्त, मेरठ मण्डल।
- (3) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- (4) कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (5) कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा।
- (7) निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज।
- (8) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
- (9) निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/संस्थागत वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग/नगर विकास विभाग।
- (10) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संजय कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।